(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
352/2024	24.09.2024	22.11.2024

1. राजबाला पुत्री शंकरलाल मीणा निवासी ग्राम मालेर पोस्ट सामोद, तहसील चौमू, जयपुर।
2. चंदा पुत्री हजारीलाल मीणा, निवासी ग्राम जोधपुरा, तहसील चौमू, जयपुर।
3. रूपवन्ती पुत्री लक्ष्मीनारायण मीणा, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील एवं जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, जमवारामगढ।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक : – वकील प्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136
लैण्ड रेवून्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3100है0, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.8100है0, ग्राम रतनपुरा जाटान पटवार हल्का गठवाडी, तहसील जमवारामगढ में स्थित है। वर्तमान खसरा नम्बर 2 के गत खसरा नम्बर 202 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 3 के गत खसरा नम्बर 201 थे। उक्त भूमियों का नक्शा पहले सही था, परन्तु हाल ही में हुए बन्दोबस्त में नक्शा त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया है और प्रार्थीगण की उक्त भूमियों खसरा नम्बर 2 एवं 3 का रकबा जमाबन्दी अनुसार नक्शे में नही करके नवीन नक्शा संकुचित कर नक्शें में 8 एयर भूमि कम दर्शा दी गयी है और खसरा नम्बर 1 जो गैर मुमकिन रास्ता गत खसरा नम्बर 172 की भूमि के नक्शें में प्रार्थीगण की भूमि का भाग शामिल करते हुए त्रुटिपूर्ण नक्शा कायम किया गया है जो दुरूस्तनीय है। अतः ग्राम रतनपुरा जाटान में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 व 2 तथा 3 का नक्शा दुरूस्त किया जाकर गत नक्शें अनुसार दुरूस्ती कर संलग्न नजरी नक्शें मौके में लाल रंग से दर्शित भू भाग जो खसरा नम्बर 1 के नक्शे में दर्शाया गया है, को खसरा नम्बर 2 व 3 के नक्शें में शामिल कर नक्शा दुरूस्त किया जाने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ भू0अ0./2024/5864 दिनांक 12.11.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0. 31है0 व खसरा नम्बर 3 रकबा 0.81है0 भूमि ग्राम रतनपुरा जाटान पटवार हल्का गठवाडी, तहसील जमवारामगढ में स्थित है जो कि रिकार्ड मे दर्ज है। वर्तमान खसरा नम्बर 2 के गत खसरा नम्बर 202 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 3 के गत खसरा नम्बर 201 थे जो कि सही है। उक्त खसरा नम्बरान पहले सही था परन्तु हाल ही में हुए बन्दोबस्त में नक्शा त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

है। उक्त खसरा नम्बरान के गत खसरा नम्बरान अनुसार नक्शा दुरूस्त योग्य है। गत नक्शें से हाल नक्शें की तरमीम में भिन्नता है। हाल खसरा नम्बर 3 की उत्तर दिशा में गत नक्शें अनुसार दुरस्त योग्य है व खसरा नम्बर 2 में पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में गत नक्शे अनुसार दुरूस्त योग्य है। दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थीगणं व पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैरोकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रतनपुरा जाटान, पटवार हल्का गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 3 की उत्तर दिशा व खसरा नम्बर 2 में पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा को साबिक नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शा में कायम किया जावें। यह सुनिश्चित किया जावे कि दुरूस्ती के दौरान राजकिय भूमि का रकबा जमाबन्दी से कम ना हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़